

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 37 / बी -121 / 2014 -15

: आदेश ::

(आज दिनांक 06 / 06 / 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 02.05.2015 को घटनास्थल ग्राम रामसिंह की चौकी में उण्डवा फाटक तहसील अलीराजपुर में सड़क दुर्घटना (ट्रेक्टर ट्राली पलटने से) होने से जानवाई पिता भलू जाति भिलाला निवासी ग्राम छोटी सर्दी तहसील अलीराजपुर की गंभीर रूप से घायल होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 7,500/- (सात हजार पाँच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार अलीराजपुर के अभिमत से सहमत होकर थाना रिपोर्ट एवं एम.एल.सी. के आधार पर घायल जानवाई पिता भलू जाति भिलाला निवासी ग्राम छोटी सर्दी तहसील अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक / एफ-20-21 / 2012 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक 16 / 07 / 2014 में निहित प्रावधान अनुसार गंभीर रूप से घायल होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 7500/- (सात हजार पाँच रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या 02-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकल्पनीय होगी।

अनुदान राशि पीडित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावे।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर
अलीराजपुर दिनांक 6/6/2015

पृ0क / 493 / रीडर / 2015
प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
- 5 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।
- 6 संबंधित जानवाई पिता भलू जाति भिलाला निवासी ग्राम छोटी सर्दी तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर